

समाहरणालय, कैमूर (भभुआ)

(जिला योजना कार्यालय)

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत माननीय सांसद, श्री अश्विनी कुमार चौबे से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में कैमूर जिला के रामगढ़ प्रखंड अन्तर्गत ग्राम भारती कॉलेज, रामगढ़ में मल्टीजिम हेतु सामग्री क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु वाणिज्य कर विभाग से निबंधित फर्म सभी कर सहित तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा (मुहरबंद अलग-अलग लिफाफा में) दिनांक-26.04.2017 को 12:00 बजे अपराह्न तक जिला योजना पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) के कार्यालय में अपना निविदा दे सकते हैं। निर्धारित समय सीमा के बाद निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा। प्राप्त निविदा को उसी दिन 2:00 बजे अपराह्न में जिला क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा। उक्त अवसर पर निविदादाता स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं। तकनीकी निविदा स्वीकृत होने पर ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा।

आपूर्ति किये जाने वाले मल्टीजिम उपस्करों की सूची

क्र०सं०	मल्टी जिम उपस्कर का नाम
1	मल्टी जिम 10 स्टेशन (क) वेट स्टेशन-5 (ख) विदाउट वेट स्टेशन-5
2	रोइंग मशीन
3	पॉवर स्टेपर
4	एकसरसाईजिंग साइकिल
5	हैक स्क्वाइड विथ लेग प्रेस
6	क्रास केबल मशीन
7	इनकलाइन बेंच डीलक्स
8	डिकलाइन बेंच डीलक्स
9	टी.बार रो
10	फैट मेल्ट वेबरेटर
11	इम्पोटेड रबराईज्ड डबल (300 कि.ग्रा.)
12	डम्बल रैक
13	इम्पोटेड रबराईज्ड वेट (300 कि.ग्रा.)
14	ई.जैड.बार -5पीस
15	बार स्टैंड

निविदा की शर्तें

1. निविदा के साथ 10000/- (दस हजार) रू० मात्र का राष्ट्रीयकृत बैंक ड्राफ्ट जिला योजना पदाधिकारी, कैमूर के पदनाम से तथा भभुआ के बैंक शाखा में भुगतये अग्रधन के रूप में जमा करना होगा। निविदादाता को पैनकार्ड, संबंधित विभाग (उद्योग विभाग, निबंधन महानिरीक्षक श्रम विभाग से प्रतिष्ठान, दुकान या फर्म का निबंधन पत्र देना होगा।
2. निविदादाता को वाणिज्यकर से निबंधित दस्तावेजों तथा वाणिज्यकर रिटर्न (Sale tax Return) की प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य है।
3. विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न की प्रति तथा विगत दो वर्षों में सालाना Turn over 10 लाख रुपये का होना अनिवार्य है। (C.A द्वारा सत्यापित)


4. निविदा में भाग लेने वाले मल्टीजिम सामग्री निर्माता व अधिकृत विक्रेता के पास फर्म की गुणवत्ता के लिए ISO प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
5. सांसद निधि योजना के अंतर्गत पिछले दो वर्षों में सरकारी विद्यालयों में मल्टीजिम उपस्कर सामग्रियों के अधिष्ठापन का अनुभव प्राप्त प्रतिष्ठानों को प्राथमिकता दी जाएगी।
6. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र देना होगा।
7. निविदा में याचित सामग्री की रंगीन चित्र एवं सामग्री के आकार तथा गारंटी/वारंटी का उल्लेख करना होगा।
8. निविदादाता को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि उन्हें निविदा की सभी शर्तें मान्य हैं।
9. सभी प्रमाण पत्र क्रमानुसार लगाकर निविदा भरा जायेगा।

वित्तीय निविदा की शर्तें

10. निविदादाता द्वारा अधियाचित सामग्री का अलग-अलग मूल्य, कंपनी अथवा ब्रांड का प्रति ईकाई दर सभी कर सहित देना होगा।

अन्य शर्तें

11. मुहरबंद निविदाएँ निर्धारित तिथि/समय के पश्चात स्वीकार नहीं की जायेगी।
12. तकनीकी/वित्तीय निविदा अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में होनी चाहिए।
13. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
14. सामग्री को शिक्षण संस्थान में आपूर्ति तथा अधिष्ठापन करना होगा।
15. संबंधित फर्म को सामग्रियों की आपूर्ति/अधिष्ठापन कार्यादेश के 30 दिनों के अंदर करनी होगी आपूर्ति की जानेवाली सामग्री के लिए वाहन व्यय तथा अधिष्ठापन हेतु अलग से राशि देय नहीं होगा। 30 दिनों के बाद आपूर्ति एवं अधिष्ठापन होने पर अनुपातिक रूप से भुगतान में कटौती की जायेगी।
16. सभी सामग्री की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन, संबंधित शिक्षण संस्थान के प्राचार्य के द्वारा गुणवत्ता युक्त सामग्री की प्राप्ति एवं अधिष्ठापन रसीद तथा उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा, कैमूर के भौतिक एवं गुणवत्ता संबंधित प्रतिवेदन के आधार पर भुगतान की कार्रवाई की जायेगी
17. सभी सामग्री की आपूर्ति स्वीकृति के अनुरूप संख्या/साईज/गुणवत्ता में करनी होगी।
18. सामग्रियों का भुगतान नियमानुसार आयकर/VAT कटौती कर की जायेगी।
19. विवाद की स्थिति में न्यायालय कैमूर का क्षेत्राधिकार लागू होगा।
20. बिना कारण बताए निविदा को स्वीकृत/रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
21. किसी विवाद की स्थिति में अद्योहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
22. आवश्यकतानुसार सामग्री, विभिन्न फर्मों से क्रय करने की स्वतंत्रता होगी।
23. विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट www.kaimur.bih.nic.in पर देखा जा सकता है। इस निविदा के प्रकाशन पर जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) का अनुमोदन प्राप्त है।


 जिला योजना पदाधिकारी
 कैमूर (भभुआ)